भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2845
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

न्यायालयों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व

2845. श्रीमती मीनाक्षी लेखीः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस कर रही महिला अधिवक्ताओं की संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों के रूप में पदासीन महिलाओं की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो भारत की न्यायिक प्रणाली में और अधिक महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों (एससी/एसटी/अशक्तता वाले व्यक्ति आदि) को शामिल करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) न्यायपालिका में समावेशिता के आकलन के लिए किन-किन मानदंडों को ध्यान में रखा गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

****